IBC Laws| www.ibclaw.in

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21092022-238956
CG-DL-E-21092022-238956

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 634] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 20, 2022/भाद्र 29, 1944
No. 634] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 20, 2022/BHADRA 29, 1944

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर,2022

सा.का.नि. 715(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 में,-

(i) उपनियम (1) में, परन्तुक के पश्चात, निम्नलिखित परन्तुक अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु यह और कि कोई कंपनी, जिसकी धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार, अपने अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व खाते में, किसी प्रकार की राशि है तो वह सीएसआर समिति का गठन करेगी और उक्त धारा की उपधारा (2) से (6) में निहित उपबंधों का अनुपालन करेगी।";

IBC Laws| www.ibclaw.in

IBC Laws| www.ibclaw.in

(ii) उप-नियम (2) का लोप किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 4 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम को रखा जाएगा, अर्थात:-

'(1) बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा की सीएसआर कार्यकलाप स्वयं कंपनी द्वारा अथवा निम्नलिखित द्वारा किए जाएंगे,-

(क) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80छ के अधीन अनुमोदित तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जो एकल रूप से या किसी अन्य कंपनी के साथ कंपनी के साथ स्थापित हो; अथवा

(ख) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित कोई रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी; अथवा

(ग) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित कोई इकाई; अथवा

(घ) अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित कोई कंपनी, या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80छ के अधीन अनुमोदित तथा धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत या धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास या कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी तथा जिसका समान कार्यकलाप करने में कम से कम तीन वर्षों का ट्रेक रिकार्ड स्थापित हो।

स्पष्टीकरण.- खंड (ग) के प्रयोजन के लिए, "इकाई" पद से अधिनियम की अनुसूची-VII में शामिल कार्यकलाप करने के लिए संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय होगा, अभिप्रेत है।'।

4. उक्त नियमों में, नियम 8 में, उपनियम (3) में, खण्ड (ग) में,-

(i) "पाँच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दो प्रतिशत" शब्दों को रखा जाएगा।

(ii) "जो भी कम हो" शब्दों के स्थान पर "जो भी अधिक हो" शब्दों को रखा जाएगा।

5. उक्त नियमों में, उपाबंध-II के स्थान पर, निम्नलिखित उपाबंध रखा जाएगा, अर्थात:-

"उपाबंध-II

अप्रैल, 2020 के प्रथम दिन को अथवा इसके पश्चात् आरंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले सीएसआर क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट के लिए प्रपत्र

1. सीएसआर नीति के संबंध में संक्षिप्त रूप-रेखा:

2. सीएसआर समिति की संरचना :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद का स्वरूप	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संपन्न बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की उन बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया गया

3. वह वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएं बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कंपनी की वेबसाइट पर प्रकट की गई हैं।

IBC Laws| www.ibclaw.in

IBC Laws| www.ibclaw.in

4. नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में यदि लागू हो, निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का अधिशासी सारांश वेब लिंक के साथ प्रदान करें।

5. (क) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ

(ख) धारा 135 की उपधारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत

(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए सेट-ऑफ की गई अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

(ङ) वित्तीय वर्ष [(ख)+(ग)-(घ)] के लिए कुल सीएसआर दायित्व।

6. (क) सीएसआर परियोजनाओं (चालू परियोजना और चालू परियोजना के अतिरिक्त दोनों) पर व्यय की गई राशि।

(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय पर व्यय की गई राशि।

(ग) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।

(घ) वित्तीय वर्ष [(क) + (ख) + (ग)]के लिए व्यय की गई कुल राशि ।

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि। (रुपए में)	अव्ययित राशि (रुपए में)				
	धारा 135 की उप-धारा (6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुसार अनुसूची-VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि		
	राशि	अंतरण की तारीख	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तारीख

(च) सेट-ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो:

क्र.सं.	ब्यौरा	राशि (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या कार्यकलापों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	

IBC Laws| www.ibclaw.in

IBC Laws| www.ibclaw.in

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि का विवरण:

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135 की उप-धारा (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (रुपए में)	वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपए में)	धारा 135 की उप-धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो,		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि (रुपए में)	कमी, यदि कोई हो
					राशि (रुपए में)	अंतरण की तारीख		
1	वित्त वर्ष-1							
2	वित्त वर्ष-2							
3	वित्त वर्ष-3							

8. क्या किसी पूंजीगत परिसंपत्ति को वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से सृजित या अधिग्रहित किया गया है:

○ हाँ ○ नहीं

यदि हां, तो सृजित / अधिग्रहित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कारपोरेट सामाजिक दायित्व राशि के माध्यम से इस तरह बनाई गई या अधिग्रहित की गई ऐसी परिसंपत्ति (ओं) से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) के लघु विवरण [संपत्ति के पूरे पते और स्थान सहित]	संपत्ति या परिसंपत्ति (यों) का पिनकोड	सृजन की तारीख	व्यय की गई सीएसआर राशि	रजिस्ट्रीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर रजिस्ट्रीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	रजिस्ट्रीकृत पता

(सभी क्षेत्रों को उसी प्रकार दर्शाया जाना चाहिए जैसाकि राजस्व रिकार्ड में दर्शाया गया है, फ्लैट सं., मकान सं., नगर निगम कार्यालय/नगर निगम/ग्राम पंचायत को निर्दिष्ट किया जाना चाहिये तथा अचल संपत्तियों के क्षेत्र के साथ-साथ उसकी सीमाओं को भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।)

9. यदि कंपनी धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय करने में विफल रही है, तो कारण (णों) को निर्दिष्ट करें।

IBC Laws| www.ibclaw.in

IBC Laws| www.ibclaw.in

ह./- (मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंधन निदेशक या निदेशक)।	ह./- (अध्यक्ष, सीएसआर समिति)।	ह./- [धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो)।"।

6. **उक्त नियमों में, ई-प्ररूप सीएसआर-1 में,** क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"1. * इकाई का स्वरूप

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक)के अधीन छूट प्राप्त और जो धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी।
- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 के अधीन स्थापित, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी ।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास, धारा 10 के खंड (23ग) के उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सार्वजनिक न्यास, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, धारा 10 के खंड (23ग) उप-खंड (iv), (v), (vi) या (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- आयकर अधिनियम, 1961 की रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी, धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित।
- धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।
- संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई।"।

[ई-फा. सं. 05/03/2022-सीएसआर]

इन्द्रदीप सिंह धारीवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में तारीख 27 फरवरी, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ) के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 12 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015 की सा.का.नि. 43(अ), तारीख 23 मई, 2016 की सा.का.नि 540(अ), तारीख 19 सितम्बर, 2015 की सा.का.नि 895 (अ), तारीख 24 अगस्त 2020 की सा.का.नि 526(अ) और तारीख 22 जनवरी, 2021 की सा.का.नि 40(अ) के द्वारा पश्चातवर्ती में संशोधित किए गए।

IBC Laws| www.ibclaw.in